137

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 709–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–2–2016 पारित द्वारा तहसीलदार, सिराली जिला हरदा प्रकरण कमांक 02/अ–13/2011–12.

राधेश्याम आत्मज शिवकरण
निवासी ग्राम महेन्द्रगांव
तहसील सिराली जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

भागीरथ पिता हीरा
निवासी ग्राम महेन्द्रगांव
तहसील सिराली जिला हरदा .....अनावेदक

श्री ओ.पी. सकरगाय, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सिराली जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ *प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, सिराली* जिला हरदा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खुटवाल स्थित भूमि खसरा नम्बर 38/1 रकबा 5.44 एकड़ उसके भूमिस्वामी स्वत्व की है, जिस पर आने–जाने के रास्ते को आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–13/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा अन्तरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–2–2016 को अन्तरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने

के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी अन्तरिम आदेश विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय में अनावेदक को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिये जाने के पश्चात भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण अंतिम स्तर पर लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12–6–15 को नियत किया गया। आवेदक द्वारा उक्त दिनाक को लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया । अनावेदक द्वारा उक्त दिनांक को लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं कर, अन्तरिम आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसका निराकरण न करते हुए तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः साक्ष्य हेतु नियत किया गया ।

(2) तहसीलदार के समक्ष प्रकरण अंतिम आदेश हेतु नियत था, किन्तु तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं कर, मूल आवेदन प्रस्तुत करने के पांच वर्ष पश्चात अतरिम आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जो कि विधि अनुकूल नहीं है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि अनावेदक द्वारा मूल आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात लगभग 5 वर्ष तक कृषि कार्य करता रहा है, जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक के लिए मार्ग उपलब्ध है ।

(3) अनावेदक द्वारा पूर्व में भी तहसील इसी अनुतोष की याचना करते हुए संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त हो चुका है, किन्तु तहसीलदार द्वारा इन कथनों एवं दस्तावेजों की ओर दुर्लक्ष कर अंतिम आदेश की प्रस्थिति पर अंतरिम आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) तहसीलदार न्यायालय ने ढाई वर्ष पुराने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, जिसमें अनावेदक के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, का उल्लेख होने के बावजूद भी अंतरिम आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है ।

(5) इतने लम्बे समय तक प्रकरण चलाने के पश्चात अनावेदक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के बाद भी तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर, प्रकरण अनावश्यक लंबायमान किया गया है ।

उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि तहसीलदार का आदेश निरस्त कर, प्रकरण का अंतिम निराकरण करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया जाये ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त अन्तरिम रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है । इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त 1971 आर.एन. 166 गज्जा तथा अन्य विरूद्ध धूलजी में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा–131–अन्तरिम आदेश–अन्तर्भूत शक्ति के अधीन दिया जा सकता है–स्थल निरीक्षण के पश्चात दिया जा सकता है ।''

इसी प्रकार 1988 आर.एन. 292 जानीबाई (श्रीमती) विरूद्ध ठाकर सिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 131–अंतरिम आदेश–स्थल निरीक्षण के पश्चात अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित किया जा सकता है ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह तीन माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सिराल जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर